28/5/25

पत्रावली राजस्व लोक अदालत पत्रावली में पेश हुई। वसूलयाब अदीहा लम्बित। वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निर्देश दिया गया। पत्रावली बहाल हुई गई। पत्रावली पर उपखण्ड अधिकारी का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली डिक्री जारी हो। रिकार्ड में आगामी हेतु तदशीक जारी हो।

नियम आज 28/5/25 को लोक अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

गोपाल चौधरी
पीठासीन अधिकारी

तारा चन्द चौधरी

बदामी
प्रतिभागी

[illegible]
प्रतिवादी